

प्रेषक

जीवन चन्द्र जोशी,  
वित्त नियंत्रक,  
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in  
फोन/फैक्स:-0135-2741607, 2742641  
ई-मेल:-ccfpfmu@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/  
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,  
मसूरी, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 16 अप्रैल, 2018।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सेक्टर योजना "4406-01-101-07-00-इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य" के अन्तर्गत रिस्पना नदी के पुनर्जीवन सम्बन्धी कार्यों के निमित्त इको टास्क फोर्स (127 Inf BN (TA) Eco गढ़वाल राइफल देहरादून) की राज्य पोषित 02 कम्पनियों को अवरोध काल 04 माह के लिये आबद्धीकरण किये जाने पर कोषागार मदों में बजट का आवंटन।

संदर्भ-


शासनादेश सं0 715/X-2-2018-12(67)/2005 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,


सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई डी-S1804270105 दिनांक 06.04.2018 से इको टास्क फोर्स (127 Inf BN (TA) Eco गढ़वाल राइफल देहरादून) की पूर्व स्थापित राज्य पोषित 02 कम्पनियों को उनके अवरोध काल 04 माह के लिये रिस्पना नदी को पुनर्जीवित किये जाने सम्बन्धी वनीकरण आदि कार्यों हेतु आबद्ध किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सेक्टर योजना "4406-01-101-07-00-इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य" के अन्तर्गत कोषागार मदों में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि ₹25,00,000/- (रुपचीस लाख मात्र) का ऑन लाइन आवंटन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

- 1- सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- उक्त धनराशि इको टास्क फोर्स (127 Inf BN (TA) Eco गढ़वाल राइफल देहरादून) की पूर्व स्थापित राज्य पोषित 02 कम्पनियों को उनके अवरोध काल 04 माह हेतु आबद्ध किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत इको टास्क फोर्स के गठन/संचालन सम्बन्धी मूल शासनादेश की शर्तों के अधीन व्यय की जायेगी।
- 3- किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम/शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4- आवंटित/जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



भवदीय,

  
(जीवन चन्द्र जोशी)  
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0 2129 (1)/3-5 (इको टास्क फोर्स) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 6- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक जोन, उत्तराखण्ड।
- 8- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - NI-2129/3-5

अनुदान संख्या - 027

अनोटमेंट आई टी - H1804270204

आवंटन पत्र दिनांक - 16-Apr-2018

DDO Name - DFO Musoori Forest Division Musoori (4258) , Treasury - Mussoorie (0102)

लेखा शीर्षक

4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परियोजना

01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण और बिकास

07 - इको टास्क फोर्स द्वारा बनीकरण कार्य

00 - इको टास्क फोर्स द्वारा बनीकरण कार्य

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - वन्य वन्य	0	2500000	2500000
	0	2500000	2500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

2500000

*Devi...*

*[Signature]*  
वित्त नियंत्रक  
वन विभाग  
कार्यालय  
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड  
देहरादून